

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2013/फाल्गुन 10, 1934

No. 463]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2013/PHALGUNA 10, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013

का.आ. 500(अ).—जबिक, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 92 मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को सौंपा है।

और जबिक, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ग्वालियर से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 92 के विकास के लिए दिनांक 6 अगस्त, 2009 को केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

और जबिक, मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लि., भोपाल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कार्यान्वयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया था।

और जबिक, प्राधिकरण ने, मैसर्स एम पी हाइवेज लिमिटेड, जो 21-05-2010 को प्रस्तुत की गई बोलियों की सफल बोली दाता है, जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-5/7, वसंत विहार, नई दिल्ली में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 92 के ग्वालियर-भिंड से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा खंड पर 0.000 कि.मी. से 108.000 कि.मी. (लगभग 107.50 कि.मी.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खंड" संदर्भित किया गया है) तक, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, विद्यमान सड़क का दो लेन में विकास करने हेतु करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "करार" संदर्भित किया गया है) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(1)

अतः, अब केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर व्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अविध को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, सड़क खंड की निम्न लम्बाई 107.50 किमी हेतु दो या अधिक लेन के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और इस तारीख से, या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख से, या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसािक करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है।

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)'	(2)
कार, जीप,वैन या हल्के मोटर वाहन	0.39
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन	0.63
अथवा मिनी बस	
बस या इरक (दो धुरी वाले)	1.32
भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर	2.07
या बहुधुरीय वाहन (तीन से छः धुरी)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	2.52

टिप्पणियां :

 नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्निलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए निविर्दिश्ट द्री हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
किमी/चैनेज 21.120 (ग्वालियर जिले में	50.000 किमी
बरेठा गांव के पास)	
किमी/चैनेज 105.310 (भिंड जिले में बरही	57.500 किमी
गांव के पास)	

- 2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन जो गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 किमी तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।
- 3. राजमार्ग खंड पर बह्यात्राओं हेतु, निम्निलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्ः

भुगतान की धनराशि	अनुजात एकतरफा यात्रओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान की तारीख से एक मास

- 4. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुसेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे, उनको उन दरों पर शुल्क का भुगतान करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खंड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हदा न दिया जाए।
- 5. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुसेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं, नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 7. उपर सारणी 1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा बशर्त कि छ: महीने के अंदर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37016/1/2012-एनएचडीपी-IVए] अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2013

S.O. 500(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096 (E) dated 4th August, 2005, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted National Highway No. 92 to the State Government of Madhya Pradesh.

And whereas, a Memorandum of Understanding was entered between Central Government and the State Government of Madhya Pradesh on August 6, 2009 for the development of National Highway No. 92 from Gwalior to MP/UP Border situated in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the State Government of Madhya Pradesh authorized Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited, Bhopal (hereinafter referred to as the "Authority") to act as implementing Authority on behalf of the Government of Madhya Pradesh.

And whereas, the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said "Agreement") with M/s MP Highways Limited, having its registered office at D-5/7, Vasant Vihar, New Delhi (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for the bids submitted on 21.05.2010 for the development of the existing road from kilometer 0.000 to kilometer 108.000 (Approximately 107.50 km) on the Gwalior-Bhind to MP/UP Border Section of National Highway No 92 (hereinafter referred to as the "said section") in the State of Madhya Pradesh by Two Laning thereof on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 107.50 Kms for use of the two and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") on the Types of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007- 08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.39
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	0.63
Bus or Truck (Two Axles)	1.32
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	2.07
Oversized Vehicles (seven or more axles)	2.52

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch 21.120 (near village Baretha in Gwalior district)	50.000 km
Km/Ch 105.310 (near village Barhi in Bhind district)	57.500 km

- 2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

4. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

- 5. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.
- 6. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.
- 7. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly, provided that no revision shall be effected within six months.

[F. No. RW/NH-37016/1/2012-NHDP-IVA]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.